न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 85/2024

प्रार्थीगण :-

1. गीता पत्नी गुणेश जाति जाट निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा
2. ढगलाराम पुत्र पदाराम जाति जाट निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. गोकलराम पुत्र अन्नाराम
2. रूपाराम पुत्र अन्नाराम
3. दिनेश पुत्र तुलछाराम
4. भागूराम पुत्र तुलछाराम
5. सुखराम पुत्र तुलछाराम
6. मंजूदेवी पुत्री तुलछाराम
7. सोनूदेवी पत्नी तुलछाराम जातियान जाट निवासीगण हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
8. खुमाराम पुत्र हापूराम
9. श्रवणराम पुत्र हापूराम
10. श्यामलाल पुत्र हापूराम
11. मीमादेवी पत्नी हापूराम
12. गुडडीदेवी पुत्री हापूराम जातियान जाट निवासीगण हरियाडा तहसील बिलाडा
13. धीराराम पुत्र पुखाराम जाति जाट निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
14. ओमप्रकाश पुत्र डूंगाराम
15. शांतिलाल पुत्र डूंगाराम
16. रामलाल पुत्र डूंगाराम
17. माणकचन्द्र पुत्र डूंगाराम
18. चम्पालाल पुत्र डूंगाराम
19. उगरीदेवी पत्नी डूंगाराम जातियान ब्राहमण निवासीगण अरण्येश्वर पार्क सी प्लेट नं. 9 तावरे कॉलोनी अरण्येश्वर मंदिर मार्ग संहकार नगर एन 1 पूणे शहर पूर्ण पार्वती महाराष्ट्र 411009
20. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 7, 9, 11, 13-श्री एम एल चौधरी अधिवक्ता।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अप्रार्थी संख्या 3, 5, 6,8,10, 12, 14 से 19 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

अप्रार्थी संख्या 20- सरकारी पैरोकार।

निर्णय

दिनांकः- 7/10/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम हरियाडा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 0.6472 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है तथा प्रार्थी संख्या 1 अपनी भूमि पर काबिज है। इसी प्रकार ग्राम हरियाडा तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 64 रकबा 1.0032 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है तथा प्रार्थी संख्या 2 अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी संख्या 1 की खसरा नम्बर 49 रकबा 0.6472 हैक्टेयर के पूर्वी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या-1 से 7 की भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 1.1892 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थी संख्या 2 की खसरा नम्बर 64 रकबा 1.0032 हैक्टेयर के दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 8 से 19 की भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 0.3964 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण अभी एक महिने पहले अपनी खातेदारी, कब्जासुदा की भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 0.6472 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 64 रकबा 1.0032 हैक्टेयर के चारों ओर काटो की तारबन्दी करने हेतु गये लेकिन मौके पर खसरा नम्बर 59 रकबा 1.1892 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.3964 हैक्टेयर के खातेदारो ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में तारबन्दी करने से रोक दिया, जिस पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा करने पर उतारू हो गये और धमकी दी कि किसी भी सूरत में भूमि का नाप तथा तारबन्दी नही करने देंगे। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 20 के कार्यालय में जाकर सम्पर्क किया और प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.0032 हैक्टेयर का भू पैमाईश करने हेतु का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने दिनांक 09.02.2024 को हल्का पटवारी को मौके पर जाकर भूमि का नाप करने का आदेश दिया, जिसकी पालना करते हुए हल्का पटवारी हरियाडा ने मौके पर जाकर भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.0032 हैक्टेयर का नाप इत्यादि किया गया और अपनी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 को तैयार की गयी। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.0032 हैक्टेयर की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 को तहसीलदार बिलाड़ा को प्रतिप्रेषित कर दी गयी। प्रार्थीगण दिनांक 09.06.2024 को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.0032 हैक्टेयर पर तारबन्दी करने हेतु गये लेकिन खसरा नम्बर 59 रकबा 1.1892 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 61 रकबा 0.3964 हैक्टेयर के खातेदार

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अप्रार्थीगण ने फिर भी तारबन्दी करने से रोक दिया, जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कहा कि तहसीलदार बिलाड़ा से नाप आदि करवा कर तारबन्दी की जा रही है, जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कहा कि ऐसे आदेश हमने कई देखे है, हमारा तहसीलदार बिलाड़ा कुछ भी नही बिघाड़ सकता है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में तारबन्दी व काश्त कार्य करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है, फिर भी अप्रार्थीगण व्यक्ति तारबन्दी नहीं करने दे रहे है, इस कारण प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 49 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.0032 हैक्टेयर का नाप, (सीमांकन), पत्थरगढी करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

अत्तः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हरियाडा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.0032 हैक्टेयर का नाप (सीमांकन) एवं पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावें । सीमाकंन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलायी जाने का आदेश फरमावें

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण सं. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14 से 19 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थीगण सं. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14 से 19 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 7, 9,11, 13 की ओर श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 7, 9,11, 13 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा राजस्व ग्राम हरियाड़ा, तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 49 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि है व खसरा संख्या 64 रकबा 1.0032 हैक्टेयर भूमि जो प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि है। उक्त दोनो खसरान की सीमाओं को स्थिर करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु पेश किया, जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मात्र खसरा संख्या 49 की भूमि के पूर्व दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 59 जो अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा है व खसरा संख्या 64 की भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 61 जो अप्रार्थी संख्या 8 से 19 की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा है, को ही प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है। खसरा संख्या 49 के पश्चिम दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 50 के खातेदार मांगीलाल पुत्र खीयाराम जाति जाट, दक्षिण दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या ६54 के सहखातेदार कुकी पत्नी मिश्रीलाल, सोहनलाल पुत्र कनीराम, गिरधारी पुत्र कनीराम, जगदीश पुत्र कनीराम, बाबूलाल पुत्र मिश्रीलाल, भुण्डाराम पुत्र मिश्रीलाल,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

लालाराम पुत्र कनीराम, शंकरलाल पुत्र लाबूराम, सोहनलाल पुत्र कनीराम जातियान ब्राहम्ण उत्तर दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 60 के खातेदार भुण्डाराम पुत्र खीयाराम, जाति जाट व उत्तर दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 48 के सहखातेदार इन्द्रा पुत्री देवाराम, राजेश्री पुत्र देवाराम, राजेन्द्र भीकूलाल शर्मा पुत्र भीकूलाल, संगीता राजकुमार व्यास पुत्री भीकूलाल, हंसराज पुत्र देवाराम, चिमनलाल पुत्र देवाराम, जयश्री पुत्र देवाराम, जयाबाई संजुलाल डाबी पुत्री भीकूलाल, दुर्गाशंकर पुत्र देवाराम, दिलीप भीकूलाल शर्मा पुत्र भीकूलाल, धनराज पुत्र देवाराम, मदनलाल पुत्र भेराराम, मीमादेवी पत्नी गिरधारीराम, जातियान ब्राहम्ण व खसरा संख्या 64 के पश्चिम दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 63 के सहखातेदार गुमानाराम पुत्र पोकरराम, पेमाराम पुत्र पोकरराम, भूण्डाराम पुत्र पोकरराम, जातियान राईका, पूर्व दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 65/1 के खातेदार लालूराम पुत्र कनीराम जाति ब्राहम्ण व पूर्व दिशा में स्थित भूमि खसरा संख्या 65 के सहखातेदार शारदा पुत्री बंशीलाल, ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल, कनीदेवी पत्नी बंशीलाल जातियान ब्राहम्ण, को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है। जबकि उपरोक्त सभी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है तथा उपरोक्त सभी को पक्षकार बनाये बिना व उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना कानूनन खसरा संख्या 49 व 64 की चारों दिशाओं की सीमाओं का सीमांकन व पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना पेश किया होने से काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी हरियाड़ा द्वारा खसरा संख्या 49 व 64 के सम्बंध में दिनांक 22.05.2024 को किये गये सीमांकन मय फर्द मौका रिपोर्ट को आधार बनाते हुए पेश किया, जबकि खसरा संख्या 49 व 64 के सीमांकन के समय हल्का पटवारी ग्राम हरियाड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 19 को न तो सूचित किया, न ही सीमांकन अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की उपस्थिति में किया गया व न ही सीमांकन रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 से 19 के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 अप्रार्थी संख्या 1 से 19 को सूचित किये बिना, बिना उनकी उपस्थिति में व बिना उनके हस्ताक्षर के कानून की दृष्टि में अप्रभावी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रभावी सीमांकन के रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण द्वारा पैरावाईज जवाब पेश किया जो इस प्रकार है कि पद सं. 1 से 4 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 49 व 64 के चारों ओर कांटो की तारबन्दी करने हेतु मौके पर कभी भी आप्रार्थी संख्या 1 से 19 की मौजूदगी में नहीं आयें व न ही अप्रार्थी संख्या 1 से 19 द्वारा कभी भी खसरा संख्या 49 व 64 के चारों ओर कांटो की तारबन्दी करने हेतु प्रार्थीगण को रोका व न ही प्रार्थीगण के साथ तारबन्दी की बात को लेकर कभी भी लड़ाई झगड़ा किया व न ही किसी प्रकार की कोई धमकी दी। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 49 व 64 के सम्बंध में सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने तथा हल्का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पटवारी द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 तैयार करने के सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 1 से 19 को कोई जानकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 से 19 को प्रथम बार जानकारी उपरोक्त के सम्बंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के नोटिस प्राप्ति के जरिये हुई। हल्का पटवारी हरियाड़ा द्वारा खसरा संख्या 49 व 64 के सम्बंध में दिनांक 22.05.2024 को किये गये सीमांकन मय फर्द मौका रिपोर्ट को तैयार करने के पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 से 19 को न तो सूचित किया, न ही सीमांकन अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की उपस्थिति में किया गया व न ही सीमांकन रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 से 19 के हस्ताक्षर है। इस प्रकार सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 अप्रार्थी संख्या 1 से 19 को सूचित किये बिना, बिना उनकी उपस्थिति में व बिना उनके हस्ताक्षर के कानून की दृष्टि में अप्रभावी है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण कानूनन खसरा संख्या 49 व 64 की सीमांकन व पत्थरगढी करवाने के अधिकारी नही है। इसके अलावा प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 49 व 64 के तीनों दिशाओं में स्थित खसरान 48, 50, 54, 60, 63, 65/1 व 65 के सहखातेदार जो प्राथमिक आपति के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार है, को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है। जबकि उपरोक्त सभी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है तथा उपरोक्त सभी को पक्षकार बनाये बिना व उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना कानूनन खसरा संख्या 49 व 64 की चारों दिशाओं की सीमाओं का सीमांकन व पत्थरगढी नही की जा सकती है। इस आधार पर भी प्रार्थीगण कानूनन खसरा संख्या 49 व 64 की सीमांकन व पत्थरगढी करवाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 49 व 64 के चारों ओर कांटो की तारबन्दी करने हेतु मौके पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की मौजूदगी में नही आयें व न ही अप्रार्थी संख्या 1 से 19 द्वारा कभी भी खसरा संख्या 49 व 64 के चारों ओर कांटो की तारबन्दी करने हेतु प्रार्थीगण को रोका व नही प्रार्थीगण के साथ तारबन्दी की बात को लेकर कभी भी लड़ाई झगड़ा किया व न ही किसी प्रकार की कोई धमकी दी। प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 49 व 64 के सम्बंध में सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने तथा हल्का पटवारी द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 तैयार करने के सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 1 से 19 को कोई जानकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 1 से 19 को प्रथम बार जानकारी उपरोक्त के सम्बंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के नोटिस प्राप्ति के जरिये हुई। हल्का पटवारी हरियाड़ा द्वारा खसरा संख्या 49 व 64 के सम्बंध में दिनांक 22.05.2024 को किये गये सीमांकन मय फर्द मौका रिपोर्ट को तैयार करने के पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 से 19 को न तो सूचित किया, न ही सीमांकन अप्रार्थी संख्या 1 से 19 की उपस्थिति में किया गया व न ही सीमांकन रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 से 19 के हस्ताक्षर है। इस प्रकार सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 अप्रार्थी संख्या 1 से 19 को सूचित किये बिना, बिना उनकी उपस्थिति में व बिना उनके

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

हस्ताक्षर के कानून की दृष्टि में अप्रभावी है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण कानूनन खसरा संख्या 49 व 64 की सीमांकन व पत्थरगढी करवाने के अधिकारी नहीं है। इसके अलावा प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 49 व 64 के तीनों दिशाओं में स्थित खसरान 48, 50, 54, 60, 63, 65/1 व 65 के सहखातेदार जो प्राथमिक आपति के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार है, को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि उपरोक्त सभी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है तथा उपरोक्त सभी को पक्षकार बनाये बिना व उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना कानूनन खसरा संख्या 49 व 64 की चारों दिशाओं की सीमाओं का सीमांकन व पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। इस आधार पर भी प्रार्थीगण कानूनन खसरा संख्या 49 व 64 की सीमांकन व पत्थरगढी करवाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही होने से काबिले निरस्तनीय है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय प्राथमिक आपतियों पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को भारी हर्जे खर्च के साथ खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थी सं. 20 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाडा के खसरा नंबर 49 रकबा 0.6472 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज है। ग्राम हरियाडा के खसरा नंबर 64 रकबा 1.0082 राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी सं. 2 के नाम से दर्ज है। प्रार्थी सं. 1 के खसरा नंबर 49 के पूर्वी दिशा की ओर अप्रार्थी सं. 1 से 7 की भूमि खसरा नंबर 59 रकबा 1.1892 हैक्टयर आई हुई है। प्रार्थी सं. 2 के खसरा नंबर 64 के दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थी सं. 8 से 19 की भूमि खसरा नंबर 64 रकबा 0.3964 हैक्टयर स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अपने खसरा नं. 49 व 64 के चारो ओर तारबन्दी करनी चाही तो अप्रार्थीगण द्वारा उन्हें तारबन्दी करने से मना कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान हेतु दिनांक 9.2.2024 को प्रस्तुत किया। उक्त सीमा ज्ञान आदेश की पालना में पटवारी द्वारा दिनांक 22.5. 2024 को सीमाज्ञान कर पालना तहसील कार्यालय में प्रस्तुत की गई। मौके पर दोनों पक्षों में आपसी विवाद बढें नहीं इस हेतु पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

अतः जवाब अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान जी की सेवा में प्रेषित है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अप्रार्थी सं. 20 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रतिपक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा सभी पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में तथा हल्का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

पटवारी बीजासनी द्वारा दिनांक 22.05.2024 को बिना नोटिस सीमांकन किये जाने के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 49 व खसरा नंबर 64 प्रार्थीगण की रेकर्डेड खातेदार की है। प्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 से 7 के मध्य खसरा नंबर 49 के पूर्वी माठ को लेकर विवाद हैं। इस कारण प्रार्थी सं. 1 द्वारा केवल विवादित पूर्वी सीमा के चिपते खसरा नंबर 59 के खातेदारों को ही पक्षकार बनाया। जिसका उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के पद सं. 3 में किया गया। इसी प्रकार प्रार्थी सं. 2 व अप्रार्थी सं. 8 से 19 के मध्य खसरा नंबर 64 की दक्षिणी माठ को लेकर विवाद है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा केवल विवादित खसरा नंबर 64 के दक्षिणी माठ से चिपते खसरा नंबर 61 के खातेदारों को ही पक्षकार बनाया। जिसका उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के पद सं. 4 में किया गया। अतः मौके पर पूर्व सीमाकंन रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 के अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 1.0032 हैक्टेयर का दिनांक 22.05.2024 की सीमांकन मौका फर्द के अनुसार केवल खसरा नंबर 49 की पूर्वी दिशा की तरफ अस्थिर माठ तथा खसरा नंबर 64 की दक्षिणी दिशा की तरफ अस्थिर माठ को स्थिर कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाडा सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी किये जाने के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस ईमदाद की व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 7/10/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा